

प्रपत्र-18

परियोजना विवरण :- सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डेड लेन में परिवर्तन किये जाने का निर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


प्रशासी वन अधिकारी,
अभियांत्रिकी विभाग, रानीखेत




अधिशाली अभियन्ता, रानीखेत
अभियांत्रिकी विभाग


उप प्रभु
रानीखेत
अभियांत्रिकी विभाग